

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT HARYANA

(Integrated Child Protection Scheme)

Applications are invited for the Grant in Aid for 2017-18 under Integrated Child Protection Scheme(ICPS) from Voluntary/Non Government Organizations running Child Care Institutions in Haryana

1. Voluntary Organization should be registered under Society's Registration Act, 1860/2012 or under Section 34(3) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2006/Section 41(1) of Repealed Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 and working in the field of Child Welfare in Haryana State for at least 3 years.
2. Memorandum of Association of Voluntary Organization should specify that the Organization will work without any discrimination on the basis on caste, creed, color, Sex and religion.
3. It should be nonprofit organization.

Organizations willing to apply may visit www.wcdhry.gov.in for application form, guidelines of the scheme, terms and conditions mandatory for NGOs to fulfill before applying for Financial Assistance. The application forms are to be submitted in the office of concerned District Programme Officer, Women and Child Development up to **06.03.2017 till 5.00 P.M.** No form will be entertained after due date/time.

Director- cum -Member Secretary,
(Haryana State Child Protection Society)

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT HARYANA
Bays No 15-20, Sector -4, pocket- II, Sector-4, Panchkula
Phone No. 0172-2571141

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
(हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति)

हरियाणा राज्य में समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई0सी0पी0एस) के अन्तर्गत बाल देखरेख गृहों को संचालित कर रही स्वैच्छिक/गैर सरकारी संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में अनुदान देने हेतु आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।

1. स्वैच्छिक संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860/2012 या किशोर न्याय अधिनियम 2006 की धारा 34(3) या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधित 2006/ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए तथा हरियाणा राज्य में पिछले 3 वर्षों से बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही हो ।
2. स्वैच्छिक संस्थाओं के ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर विवरण होना चाहिए कि संस्था बिना किसी जाति, सिद्धांत, रंग, सैक्स एवं धर्म के भेदभाव के बिना कार्य करेगी ।
3. संस्था बिना किसी लाभ के उद्देश्य से कार्यरत होनी चाहिए ।

इच्छुक संस्थायें आवेदन पत्र, स्कीम की गाईडलाईन्स , वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अनिवार्य नियम व शर्तें तथा निर्धारित आवेदन फार्म विभाग की वेबसाईट **www.wcdhry.gov.in** पर देख सकते हैं । इच्छुक आवेदक अपने आवेदन सभी सम्बन्धित दस्तावेज सहित अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में दिनांक 06.03.2017 सांय 5.00 बजे तक जमा करवायें । अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

निदेशक –कम– सदस्य सचिव
(हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति)

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा,
बेज न. 15-20, सैक्टर-4, पाकेट-आ, पंचकूला
दूरभाष न0 0172- 2571141